मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004

आदेश

क्रमांक एफ 17–1/19/बी/2010 भोपाल, दिनांक .09.2016

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17–1/19/बी/2010/646 दिनांक 17.8.2016 के द्वारा केन्द्रीयकृत पंजीयन हेतु लागू की गई संशोधित नवीन व्यवस्था के अतंर्गत पूर्व के पंजीकृत ठेकेदारो के लिए व्यवस्थापन बाबत निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती हैः–

केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था के अतंर्गत अ, ब, एवं स श्रेणी मे पूर्व से पंजीकृत वैद्यता अवधि के समस्त ठेकेदारों को यथास्थिति (बाई–डिफाल्ट) नवीन **"केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली "** मे पंजीकृत कर दिया जावे । वर्तमान मे प्रचलित पंजीयन वैद्यता अवधि वाले ठेकेदारो को प्रचलित पद्धती की वैद्यता अवधि अर्थात 5 वर्ष पूर्ण होने पर रू0 25,000 (रू.पच्चीस हजार मात्र) पंजीयन शुल्क जमा कराया जाकर 10 वर्षो के लिए पंजीयन का नवीनीकरण किया जावेगा। ऐसे ठेकेदारो की पूर्व से विभाग मे जमा एफ.डी.आर इस पंजीयन नवीनीकरण के समय लौटाई जावे । यदि कोई ठेकेदार पूर्व पंजीयन की वैद्यता अवधि शेष रहने पर भी नये नियमो के अनुसार नवीनीकरण कराना चाहते है तो वे रू0 25,000 (रू.पच्चीस हजार मात्र) पंजीयन शुल्क विभाग मे जमा कर नवीनीकरण करा सकते है । ऐसी स्थिति मे उनकी पूर्व की जमा एफ.डी.आर उन्हे वापस की जावेगी।

मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रेक्टर योजना के अतंर्गत पंजीयन होने वाले ठेकेदारो हेतु पंजीयन शुल्क रू. 2,000 (रू.दो हजार मात्र) यथावत रहेगा। इनके द्वारा पूर्व मे जमा की गई एफ.डी.आर राशि रू. 25,000 नवीन पंजीयन के समय वापस कर दी जावे ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

पृ. क्रमांक एफ 17–1/19/बी/2010/715.
प्रतिलिपि:–

भोपाल दिनांक 9 .09.2016

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी.आर.आर.डी.ए भोपाल।
6. प्रबंध संचालक पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन भोपाल।
7. आयुक्त, म.प्र. अधोसंरचना बोर्ड भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन भोपाल।
9. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई, निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
10. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग.......................................भोपाल।
11. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू ....
12. राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग,अरेरा हिल्स भोपाल।
13. आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियता लोक निर्माण विभाग भोपाल को उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

9/9/16
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

9/9/2016